श्रीलाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या 254/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.08.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम देवीसिंहपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू.अभि नि क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे प्रार्थी की साबिक आराजी कृषि भूमि खसरा न० 87 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा न० 88 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा न० 90 रकबा 3 बिस्वा, खसरा न0 91 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा न0 114 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 3.30 है0, खसरा न० 167/315 रकबा 0.70 है०, खसरा न० 223 रकबा 1.39 है० कुल किता 3 कुल रकबा 5.39 है० बने जिसका साबिक नक्शा ट्रेस से हाल नक्शा ट्रेस दौराने सेटलमेन्ट बनाया गया वो सही है उस नक्शाट्रेस मे प्रार्थी के साबिक खसरा नम्बरान से बने हाल खसरा नम्बरान को सही अंकित किया गया जो कि निर्विवाद है। साबिक खसरा न0 106 रकबा 1 बिघा 18 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 121 रकबा 0.12 है० खसरा न0 222 रकबा 0.26 है० खसरा न0 222/314 रकबा 0.10 है० कुल 3 कुल रकबा 0.48 है० बनाये गये तथा साबिक नक्शा ट्रेस से हाल नक्शाट्रेस दौराने सेटलमेन्ट बनाया गया वो भी सही है। उस नक्शाट्रेस मे साबिक खसरा नम्बर से बने हाल खसरा नम्बर बनाये गये वो भी निर्विवाद है। दौराने सिरकेशन कम्पयूटर में जमावन्दी व नक्शाट्रेस का अंकन के दौरान प्रार्थी के साविक खसरा नम्बरान से बने हाल खसरा नम्बर 167 के नक्शाट्रेस में गलत रूप से 222/314 का अंकन कर दिया गया जो कि गलत है खसरा न० 222/314 का साबिक खसरा न0 106 से बने होने के कारण नक्शाट्रेस में खसरा न0 106 से बना हाल नक्शाट्रेस मे सिरिकेशन से पूर्व नक्शाट्रेस के अनुसार अंकन किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती करने बाबत अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर के यहां पर प्रार्थना पत्र पेश किया तो अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर ने प्रार्थी को कहा कि उक्त दुरूस्ती करवाने के लिए आपको सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडेगां। इस कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम देवीसिंहपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू.अभि. नि. क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:11:48 IST
Reason: SelfAttested

08.08.2024

श्रीलाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या 254/2024

प्रार्थी के साबिक खसरा न० 87, 88, 90, 91 से बने हाल खसरा नम्बर 167 का नक्शाट्रेस मे सिरिकेशन के दौरान गलत रूप से खसरा नम्बर 222/314 अंकित कर दिये गये उसको दुरुस्त कर सिरिकेशन से पूर्व नक्शाट्रेस मे अंकित साबिक खसरा न० 106 से बने हाल खसरा नम्बरान के नक्शाट्रेस मे अंकित किया जावे। तथा प्रार्थी के हाल खसरा न० 167 से बने नक्शाट्रेस से हटाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौराया एवं अंत मे निवेदन किया कि वाके ग्राम देवीसिंहपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित प्रार्थी के साबिक खसरा न० 87, 88, 90, 91 से बने हाल खसरा नम्बर 167 का नक्शाट्रेस में सिरिकेशन के दौरान गलत रूप से खसरा नम्बर 222/314 अंकित कर दिये गये उसको दुरुस्त कर सिरिकेशन से पूर्व नक्शाट्रेस में अंकित साबिक खसरा न० 106 से बने हाल खसरा नम्बरान के नक्शाट्रेस में अंकित किया जावे। तथा प्रार्थी के हाल खसरा न० 167 से बने नक्शाट्रेस से हटाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस प्रार्थी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की वाके ग्राम ग्राम देवीसिंहपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 167 एवं 222/314 की तरमीम संशोधन यदि कोई अन्य आदेश से नही हुआ तो सेग्रिकेशन से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। सेग्रिकेशन के बाद प्रश्नगत खसरा नम्बर में हुए अविधिक परिवर्तन को सेग्रिकेशन के पूर्व के नक्शे अनुसार संशाधित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर जयपुर द्वितीय जयपुर

वाद पत्र संख्या 254/2024

श्रीलाल पुत्र बालू जाति जाट निवासी देवीसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र बाबत विधिवत बटवारां के साथ सलंग्न नक्शाट्रेस मे की गई तरमीम के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस मे तरमीम दुरूस्त किये जाने अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि :-

1 यह कि वाके ग्राम देवीसिंहपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे प्रार्थी की साबिक आराजी कृषि भूमि खसरा न0 87 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा न0 88 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा न0 90 रकबा 3 बिस्वा, खसरा न0 91 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा न0 114 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 3.30 है0, खसरा न0 167/315 रकबा 0.70 है0, खसरा न0 223 रकबा 1.39 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.39 है0 बने जिसका साबिक नक्शा ट्रेस से हाल नक्शा ट्रेस दौराने सेटलमेन्ट बनाया गया वो सही है उस नक्शाट्रेस मे प्रार्थी के साबिक खसरा नम्बरान से बने हाल खसरा नम्बरान को सही अंकित किया गया जो कि निर्विवाद है।

2 यह कि साबिक खसरा न0 106 रकबा 1 बिघा 18 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 121 रकबा 0.12 है0 खसरा न0 222 रकबा 0.26 है0 खसरा न0 222/314 रकबा 0.10 [illegible] कुल रकबा 0.48 है0 बनाये गये तथा साबिक नक्शा ट्रेस से हाल नक्शाट्रेस दौराने सेटलमेन्ट बनाया गया वो भी सही है। उस नक्शाट्रेस मे साबिक [illegible] से बने हाल खसरा नम्बर बनाये गये वो भी निर्विवाद है।

श्रीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:11:48 IST
Reason: SelfAttested